हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सप्तम् सत्र

समाचार भाग-1
संख्याः 60

वीरवार, 11 दिसम्बर, 2014/20 अग्रहायण,1936 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन,तपोवन, धर्मशाला में आरम्भ हुई ।

11.03.10 AM

व्यवस्था का प्रश्न :-

बैठक प्रांरभ होते ही श्री जय राम ठाकुर, सदस्य ने नियम 67 के अंतर्गत दिए गए विषय का उल्लेख किया कि उनके सिराज विधान सभा क्षेत्र के थुनाग नामक स्थान पर पिछले कल **दिनांक** 10.12.2014 **को** Family Planning Camp लगा था जिसमें एक डॉक्टर **ने शराब पीकर** चार महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन **किए और उसके पश्चात** सो गया जबकि उस डॉक्टर पर सरकार द्वारा ऑपरेशन न करने की रोक लगाई गई है। श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य ने नियम 62 के अंतर्गत इसी विषय को उठाने बारे दिए गए नोटिस का उल्लेख किया।

तत्पश्चात, श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ध्यान में लाया कि सम्बन्धित डॉक्टर को ससपैंड कर दिया गया है और आज विधिवत तौर पर नसबंदी ऑपरेशन हो रहे हैं। इस पर श्री मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्षपीठ से अनुरोध किया कि सरकार इस विषय पर उत्तर देने के लिए तैयार है, अतः अध्यक्ष महोदय सुविधानुसार नियम 62 के अंतर्गत इस विषय को उठाने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार व्यवस्था दी कि " मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि **rarely** नियम 67 **के अंतर्गत विषय उठाने हेतु लाए जाने चाहिए**। हर किसी विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना उचित नहीं है। मैंने श्री जय राम ठाकुर, सदस्य द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस **reject** कर दिया है। अलबत्ता, इसी विषय बारे नियम 62 के अंतर्गत जो नोटिस श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य ने दिया **है**, उसे उठाने की मैं अनुमति प्रदान करता हूं और चूंकि यह घटना थुनाग नामक स्थान पर घटी है, जो श्री जय राम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र से संबंधित है, अतः आज की कार्यसूची में निर्धारित कुछ मदों के पश्चात मैं उनका नाम पुकारूंगा तब वह इस विषय को उठाएंगे एवं श्री महेन्द्र सिंह जी को भी इस विषय को उठाने की अनुमति है। "

11.13.00 AM

1. प्रश्नोत्तरः

(1) तारांकितः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 674,779, तारांकित प्रश्न संख्या 1406,1408,1409 और 1410 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। (**तारांकित प्रश्न संख्या 1408 के अनुपूरक प्रश्न के मध्य मुख्य मंत्री महोदय ने अध्यक्षपीठ के ध्यान में लाया कि उन्होंने प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, उसके बावजूद माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र ठाकुर नजायज़ तौर पर आरोप लगा रहे हैं और चरित्र हनन की**

बातें कर रहे हैं जिसे कार्यवाही से expunge **किया जाए। इसकी अध्यक्ष महोदय ने सांकेतिक सहमति दी।)** तारांकित प्रश्न संख्या 1411 से 1416 एवं 1418 से 1451 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1407 और 1417 सम्बन्धित सदस्यों द्वारा वापिस लिए गए।

(2) अतारांकित :

अतारांकित प्रश्न संख्याः 657 से 704 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00.25 PM

व्यवस्था का प्रश्न :

प्रश्न काल समाप्त होते ही श्री वीरेन्द्र कंवर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि उनके विधान सभा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने मंदिर को सरकार द्वारा गिरा दिया गया है और यह स्थानीय लोगों का धार्मिक आस्था का प्रश्न है। उन्होंने यह भी कहा कि यह विषय उठाने के लिए उन्होंने नियम 67 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि " Off hand इस विषय को नहीं लिया जा सकता। सरकार से इस बारे में जवाब मांगेंगे , तत्पश्चात इस पर आगामी निर्णय लिया जा सकेगा। "

12.02.21 PM

2. सभा पटल पर रखे गए कागजातः

(1) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 45 (4) के

अन्तर्गत डा० वाई०एस० परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित, का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत उद्यान विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः. एच0टी0सी0-ए0(3)-1/2003 दिनांक 20.09.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.10.2014 को प्रकाशित।

(2) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, संगणक (कम्पयूटर) (मुद्रण), वर्ग-III (अराजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः मुद्रण(बी)10-46/2010 दिनांक 18.5.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.5.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, संगणक

(कम्पयूटर) (अक्षरयोजन),वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः मुद्रण (बी) 10-39/2010 दिनांक 18.5.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.5.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः मुद्रण(बी)10-(51)/2010 दिनांक 6.12.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 7.12.2013 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, वरिष्ठ यंत्र चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःमुद्रण(बी)10-29/2010 दिनांक 5.8.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.8.2014 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,अनुभागपाल, (मुद्रण), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःमुद्रण(बी)10-21/2010 दिनांक 13.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,अनुभागपाल, (जिल्दबन्धी), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना

संख्या:मुद्रण(बी)10-32/2010 दिनांक 13.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.10.2014 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुलिपित्र, ऑपरेटर, वर्ग-IV (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:मुद्रण(बी)10-43/2010 दिनांक 13.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.10.2014 को प्रकाशित; और

(viii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, छपाई आदेश वाचक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:मुद्रण(बी)10-48/2010 दिनांक 18.09.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.09.2014 को प्रकाशित।

[(i) **से** (viii) **तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है।**]

(3) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने**

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी।

12.03.48 PM

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

1. **श्री अनिरूद्ध सिंह,सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **31वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **32वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 में शामिल ऑडिट पैरा संख्या:2.2 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम में ऋण अनुश्रवण प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा** से सम्बन्धित है।

2. **श्री किशोरी लाल, सदस्य, मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15)ने** समिति का **10वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के आश्वासनों से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12.04.45 PM

4. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2014(2014 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2014(2014 का विधेयक संख्यांक 17) पुरः स्थापित हुआ।

12.05.55 PM

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i)**श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

श्री ईश्वर दास धीमान एवं श्री सुरेश भारद्वाज,सदस्यों ने चर्चा की।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 45 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) पारित हुआ।

(ii)**श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) पारित हुआ।

12.24.10 PM

4(क) नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ः

श्री जय राम ठाकुर एवं श्री महेन्द्र सिंह, सदस्यों ने दिनांक 10-12-2014 को जिला मण्डी के थुनाग नामक स्थान पर आयोजित परिवार नियोजन शिविर में डॉक्टर द्वारा शराब पीकर नसबंदी ऑपरेशन करने से उत्पन्न स्थिति को ओर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री महेन्द्र सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया।

12.25.18 PM

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख ः

सर्वश्री सतपाल सिंह सत्ती, बलदेव सिंह तोमर, सुरेश कुमार,बिक्रम सिंह जरयाल,राम कुमार और महेश्वर सिंह, सदस्यों द्वारा नियम 324 के अंतर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

अपराह्न 01.04.00 बजे सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02..05.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

अपराह्न 02.10.20 बजे सदन की बैठक पुनः आरंभ हुई।

02.11.30PM

6. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

संकल्पः

1. **श्री इन्द्र सिंह, सदस्य** ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया:-

" यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि मनरेगा, सांसद व विधायक क्षेत्र विकास निधि इत्यादि से जो ग्रामीण संपर्क सड़कें निर्मित की जाती हैं उनके रख -रखाव हेतु सरकार Minor-Repair-Head में विशेष बजट का प्रावधान करें।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री गोविंद राम शर्मा
2. श्री बलदेव सिंह तोमर
3. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
4. श्री जगजीवन पाल
5. श्री विनोद कुमार

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री के आश्वासन के दृष्टिगत श्री इन्द्र सिंह ने संकल्प वापिस लिया।

संकल्प वापिस हुआ।

2. **श्री महेन्द्र सिंह सदस्य** ,ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया-:

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि जंगलों व निजी भूमि में फैली कांग्रेस घास व अन्य झाड़ियों के स्थान पर चन्दन व फलदार पौधे लगाने हेतु 'नई पौधरोपण नीति' बनाकर प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित करे।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1 श्री वीरेन्द्र कंवर

2 श्री सुरेश कुमार

माननीय वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

वन मंत्री महोदय के उत्तर एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध के मध्यनजर श्री महेन्द्र सिंह ने संकल्प वापिस लिया ।

संकल्प वापिस हुआ।

3. **श्री महेश्वर सिंहसदस्य ,** की अनुपस्थिति के कारण उनका संकल्प कि "यह सदन इस मत का है कि सरकार प्रदेश ने सभी विभागों, निगमों, बोर्डों व अन्य खर्चों पर मितव्ययता लाए और भारी भरकम प्रशासन को भी आवश्यकतानुसार कम किया जाए " lapse (समाप्त) हुआ।

4. **श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सदस्य** ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया:-

" यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि मनरेगा के अन्तर्गत जो कृषि सम्बन्धी स्वीकार्य कार्य हैं उनमें से जंगली जानवरों से किसानों की खेती की रखवाली करने का कार्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को देनें का प्रस्ताव योजना में सम्मिलित किया जाए।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1 श्री रिखी राम कौंडल

2 श्री सतपाल सिंह सत्ती

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और इस संकल्प को भारत सरकार को प्रेषित करने का आश्वासन दिया।

संकल्प स्वीकार हुआ।

सदन की बैठक अपराह्न 04.48.40 बजे शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर,2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।